संचिका सं0- 7 / MCH -35-25/2026-27 ...179... (78)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 15/04/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम तथा पी०जी० में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 33,00,000/– (रूपये तेतीस लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–10(1), दिनांक–08.01.2021, विभागीय पत्रांक–03(1), दिनांक–03.01.2022, संकल्प संख्या–776(1), दिनांक–29.11.2023, संकल्प सख्या–472(1), दिनांक–05.07.2023, संकल्प सख्या–125(1), दिनांक–20.02.2014 एव सकल्प सख्या–776(1), दिनांक–29.11.2023 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा मे संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम तथा पी०जी० में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 33,00,000/– (रूपये तेतीस लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग स0–20 के अतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0028–जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0028 अंतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा होगे एवं नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबंधित छात्रो को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/MCH -35-25/2026-27 के पृष्ठ– 03/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

15/4/26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक– 7/MCH -35-25/2026-27- 179(7B) /स्वा0, पटना, दिनांकः–15/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोशी प्रमडल, सहरसा/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26

सरकार के अपर सचिव